



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



धारा 28 निर्वाचन अपराध →

① लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 → [धारा 125, 126, 127, 127 क,
128, 129, 130, 131, 132, 132 क, 133
134, 134 क, ख, ग, 135, 135 क, ख, ग,
136]

② 13/3/2020

→ नाम निर्देशन पत्र (Nomination paper) में प्रियता घोषणा / शपथ पत्र /
रूपन आदि (रिटर्निंग ऑफिसर के
समक्ष)

पुर्जना / कारावास → 6 माह तक

धारा 29 → भ्रष्ट प्रथा (Corrupt practices) →

(i) रिश्ता → दान (gift), प्रस्तापना (offer), वचन (promise), ईनाम (reward)

↳ प्रयोजन → चुनाव में उम्मीदवार को खड़े होने या न होने या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए किसी को मत देने या मत देने से विरत कराने के लिए

(iii) असम्बद्ध असर डालना (undue influence) -

↳ निश्चित के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में उम्मीदवार या उनके अधिकार द्वारा प्रत्याशा/अनुत्पत्त स्वतंत्रता →

- जाति/समुदाय/साम्राज्य के बहिष्कृत होने की धमकी
- देगी प्रत्युत्साह/आध्यात्मिक परिनिष्ठा का प्राप्त बनाने का प्रयास

अपवाद → लोकनीति की घोषणा, लोक कार्यवाही का वचन।

(iii) धर्म, मूलनैरा, जाति, समुदाय, साम्राज्य के आधार पर किसी को मर देने या मरने के विरत रहने की अपील, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी पुहार, राष्ट्रीय प्रतीक (राष्ट्रीय ध्वज आदि) का उपयोग/पुहार

अपवाद → उम्मीदवार को अनंतित प्रतीक

(iv) → भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, पृथ्वरा, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना संप्रवर्तन (Promote करना)

(v) सती पथा का गौरवान्धयन (प्रद्विमामंडन)

(vi) किसी उम्मीदवार से उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस लेने या निर्वाचन लड़ने से हटने के संबंध में दिया बात का प्रकारान

(vii) यात्रा जलयान सुविधा देना

(viii) निर्वाचन से संबंधित किसी भी नियम/आदेश के अलंघन में
व्यय करना।

IX → निम्न सरकारी-पदधियो से सहायता लेना →

✓ - राजपत्र अधिकारी

✓ - संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य

✓ - पुलिस बल के सदस्य

✓ - राजस्व अधिकारी (पटवारी समेत)

✓ - आबकारी अधिकारी

- सरकारी सेवा से प्राप्त-पदधि जो विहित किए जाए।

धारा 30 → निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों
की अधिकारिता →

✓ (i) परिषीमत, वर्डों में स्यातो का भावंद, निरुचक नामावलिषों की नुंयारी तथा निरुचन के लुंचालन आदि पर अधिकारिता नही होगी।

✓ (ii) निरुचक ढाेषका के आधार पर ही किसी निरुचन को पुख गत किया जासकता है

~~सुस~~

धारा 31

निर्वाचित अधिकारी →



कौन - उम्मीदवार, निर्वाचक (मतदाता)

कब तक - 1 मार के भीतर - 2

कहाँ → जिला-मायाधीरा (District Judge)

(उस नगर पालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले - प्रामाण्य)











THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

